आनुवांशिक निरीक्षण की ओर

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक -सुहरिथ पार्थसारथी (अधिवक्ता, मद्रास उच्च न्यायालय)

21 दिसंबर, 2018

"डीएनए विधेयक राज्य को गहराई से व्यक्तिगत और घुमावदार सामग्री तक पहुंच प्रदान करेगा।"

आज संसद में एक स्वस्थ बहस के बजाय शोर-शराबों और संसदीय नौटंकी अधिक देखने को मिलती है। लेकिन दोनों सदनों की सबसे बड़ी समस्या, दोनों सदनों में सरकार को नए कानून बनाने से न रोकने की कोशिश है, जैसा कि हम इस शीतकालीन सत्र में देख सकते हैं। हो रहे विरोध पर सरकार का असंतोष, राज्यसभा में विचाराधीन डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 को द्वेषजनक बनाता है।

मसौदा विधेयक के साथ समस्याएं

जुलाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मसौदा कानून न केवल गंभीर नैतिक दुविधाओं को नजरअंदाज करता है, जो एक राष्ट्रीय डीएनए डेटाबेस के निर्माण के लिए सहायक हैं, बल्कि स्थापित ज्ञान के विपरीत, डीएनए को अचूक मानता है अर्थात् इसके अनुसार यह आपराधिक न्याय प्रणाली की कई समस्याओं का समाधान करने में सहायक है।

डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) में एन्कोड किए गए जीन, जिन्हें रक्त, बाल, त्वचा कोशिकाओं और ऐसे अन्य शारीरिक पदार्थों से एकत्र किया जा सकता है, निस्संदेह फोरेंसिक विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुए हैं। फिंगरप्रिंट की तरह, एक व्यक्ति की डीएनए प्रोफाइल अद्वितीय होती है (जुड़वां के मामले को छोड़कर) और इसलिए,यह एक संदिग्ध की पहचान स्थापित करने में मदद कर सकती है।

ऐसी प्रोफाइल बनाने के लिए आनुवांशिक सामग्री की केवल थोड़ी सी मात्रा की आवश्यकता होती है, जो साक्ष्य के रूप में विशेष रूप से आपराधिक जांचकर्ताओं द्वारा मुहैया कराई जाती है। देखा जाये तो डीएनए साक्ष्य के उपयोग से कई निर्दोष लोगों को दोषमुक्त किया गया है और कई जटिल मामलों में अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा भी दी गयी है।

हालाँकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमें एक ऐसे कानून की आश्यकता है जो किसी भी राज्य को किसी व्यक्ति के जैविक सामग्री इकट्ठा करने के तरीके और परिस्थितियों को नियंत्रित करने में मदद करे। इस तरह का कानून केवल 2005 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता में किए गए संशोधन में ही दिखता है, जो एक चिकित्सक की सहायता से आरोपी से डीएनए नमूना एकत्र करने के लिए अपराध के जांच अधिकारियों को स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है। लेकिन सालों से, डीएनए के उपयोग को विनियमित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित विधेयक की हर पुनरावृत्ति संवैधानिक रूप से टिकाऊ मॉडल प्रदान करने में विफल रही है।

अपने नवीनतम रूप में, मसौदा कानून एक राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक बनाने की मांग करता है, जिसे व्यक्तियों की पहचान को सुविधाजनक बनाने के दृष्टिकोण के साथ अपराध दृश्य सूची, एक संदिग्ध सूची और अपराधी सूची सहित विभिन्न श्रेणियों के आधार पर बनाए रखा जाएगा।

पहचान पर यह प्रयास अन्य चीजों के अलावा, एक आपराधिक जांच के लिए, किसी भी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही और यहां तक कि माता-पिता से संबंधित विवाद, वंशावली से संबंधित मुद्दे और व्यक्तिगत पहचान की स्थापना से संबंधित मुद्दों जैसे नागरिक मामलों से संबंधित हो सकता है। देखा जाये तो यह प्रस्तावित कानून, न सिर्फ इस संबंध में अस्पष्ट है कि यह डीएनए बैंक को कैसे व्यवस्थित बनाए रखेगा, बल्कि यह डीएनए साक्ष्य के संग्रह को न केवल आपराधिक जांच की सहायता से बल्कि नागरिक विवादों के निर्धारण में सहायता करने के अपने उद्देश्यों में भी सीमित है।

गोपनीयता का उल्लंघन

जब, अगस्त 2017 में, सुप्रीम कोर्ट की नौ न्यायाधीशीय खंडपीठ ने रिटायर्ड जज के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारतीय संघ मामले में घोषणा की कि संविधान गोपनीयता के मौलिक अधिकार को मान्यता देता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका फैसला गोपनीयता के किसी भी सार्थक अधिकार में भौतिक निकाय पर लागू होगा। दरअसल, न्यायमूर्ति एपी शाह की अगुवाई में गोपनीयता पर विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा दायर एक 2012 की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से पाया गया कि किसी व्यक्ति से जबरदस्ती डीएनए लेना उसकी बुनियादी स्वतंत्रता का हनन है।

हालाँकि, इस मामले में गोपनीयता के उल्लंघन का मतलब यह नहीं है कि सरकार किसी भी परिस्थिति में डीएनए साक्ष्य एकत्र नहीं कर सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस तरह के संग्रह को एक विधायी शासन के तहत बनाया जाना चाहिए, जो आवश्यकता और आनुपातिकता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया गया हो।

डीएनए साक्ष्य का उपयोग

हालांकि, इस वर्तमान मसौदे में, विधेयक इन परीक्षणों को पूरा करने में कमजोर प्रतीत हो रहा है। दुनिया भर में, डीएनए डेटाबेस को बनाए रखने के पीछे विचार संग्रहित प्रोफाइल के एक सेट के खिलाफ एक अपराध दृश्य से एकत्र नमूने से मेल खाने और तुलना करने में मदद करना है, जिससे आपराधिक जांच में संभावित संदिग्ध की पहचान में मदद मिलती है।

लेकिन, भारत का विधेयक डीएनए बैंक को अनगिनत उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, जिसमें नागरिक मामलों में भी इसका उपयोग शामिल है। यह देखते हुए कि भारत में, यहां तक कि अवैध रूप से प्राप्त प्रमाण भी कानून की अदालत में स्वीकार्य है, जब तक कि इस तरह की सामग्री की प्रासंगिकता और वास्तविकता स्थापित नहीं की जाती, तब तक एकत्र किए गए डीएनए साक्ष्य के उपयोग पर संशय कायम ही रहेगा।

इसके अलवा, सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह विधेयक संभावित रूप से किसी अन्य उद्देश्य के लिए डीएनए साक्ष्य का उपयोग करने की अनुमति देता है, जिसे अन्य नियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसलिए कानून को अपने वर्तमान रूप में लागू करने के लिए, राज्य के बढ़ते निगरानी तंत्र में एक नया घातक हथियार प्रदान करेगा।

GS World टीम...

डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018

संदर्भ

- 04 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2018 को मंजूरी दे दी थी।

क्या है?

- फोरेन्सिक डीएनए प्रोफाइलिंग का ऐसे अपराधों के समाधान में स्पष्ट महत्व है, जिनमें मानव शरीर (जैसे हत्या, दुष्कर्म, मानव तस्करी या गंभीर रूप से घायल) को प्रभावित करने वाले एवं संपत्ति (चोरी, सेंधमारी एवं डकैती सहित) की हानि से संबंधित मामले से जुड़े अपराध का समाधान किया जाता है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- इस विधेयक के अनुसार, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय डीएनए डेटा बैंकों को पीड़ितों की पहचान, संदिग्ध व्यक्ति की पहचान, आश्रितों, गायब व्यक्तियों और अज्ञात मानव अवशेषों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने के लिए स्थापित किया जाएगा।
- डीएनए प्रोफाइल जानकारी लीक करने वाले ऐसे लोग या संस्थाएं, जो इसके हकदार नहीं हैं, उन्हें तीन साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा।
- डीएनए प्रोफाइल, डीएनए नमूने और अभिलेख सहित सभी डीएनए डेटा का उपयोग केवल व्यक्ति की पहचान के लिए किया जाएगा, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए।
- बड़ी आपदाओं के शिकार हुए व्यक्तियों की पहचान करने में भी सहायता प्रदान करेंगे।

लाभ

- 2016 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, देश में ऐसे अपराधों की कुल संख्या प्रति वर्ष तीन लाख से अधिक है।
- इनमें से केवल बहुत छोटे हिस्से का ही वर्तमान में डीएनए परीक्षण किया जाता है।
- इससे अपराधों के ऐसे वर्गों में इस प्रौद्योगिकी के विस्तारित उपयोग से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, सजा दिलाने की दर भी बढ़ेगी, जो वर्तमान में केवल 30 प्रतिशत (2016 के एनसीआरबी आंकड़े) है।

हानि

- डीएनए की जानकारी और उन्हें फोरेंसिक प्रयोगशालाओं द्वारा संग्रहीत किये जाने के तरीके से गोपनीयता के उल्लंघन की आशंका होती है।
- विधेयक में कई अनुसूची ऐसी जोड़ी गई हैं, जो डाटा के दुरुपयोग को रोकने में सक्षम हैं।
- बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अनुसार, डाटाबेस केवल आपराधिक जाँच से संबंधित जानकारी संग्रहीत करेंगे और संदिग्धों के डीएनए विवरण हटा दिये जाएंगे।
- इसमें एक डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड बनाने का प्रावधान है, जो अंतिम प्राधिकरण होगा और राज्य स्तरीय डीएनए डाटाबेस के निर्माण को अधिकृत करेगा तथा डीएनए-प्रौद्योगिकियों के संग्रहण और विश्लेषण के तरीकों को स्वीकृति प्रदान करेगा॥

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित में से किस वाद में घोषणा की गयी कि संविधान गोपनीयता के मौलिक अधिकार को मान्यता देता है?
   (a) पी. कन्नादासन वाद
   (b) के. एस. पुट्टास्वामी वाद
   (c) बेरुबाड़ी यूनियन वाद
   (d) श्रीधरन पिल्लई वाद

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: राज्यसभा में विचाराधीन डीएनए बिल की कमियों को समझाते हुए विवेचना कीजिए कि यह किस प्रकार भारत में अपराध को रोकने में सक्षम होगा? (250 शब्द)

नोट : 20 दिसम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d) होगा।